Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 134-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2016 (BHADRA 2, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th August, 2016

No.19-HLA of 2016//84 .— The Haryana Right to Service (Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 19- HLA of 2016

THE HARYANA RIGHT TO SERVICE (AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Haryana Right to Service Act, 2014.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Right to Service (Amendment) Act, 2016.

Amendment of section 5 of Haryana Act 4 of 2014.

2. In sub-section (4) of section 5 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (hereinafter the called the principal Act), -

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following provisos shall be added, namely:-

"Provided that if the Designated Officer refuses to receive the application or refuses to issue acknowledgment, the eligible person may submit his application in the office of the First Grievance Redressal Authority stating therein the reasons for so doing, who shall forward the same to the Designated Officer:

Provided further that the notified time limit in such a case shall start from the date when the requisite complete application for notified service is received by First Grievance Redressal Authority.".

Amendment of section 7 of Haryana Act 4 of 2014.

3. In the third proviso to sub-section (2) of section 7 of the principal Act, for the words "sixty days" the words "thirty days" shall be substituted.

Amendment of section 10 of Haryana Act 4 of 2014.

4. In section 10 of the principal Act,-

(i) in the existing proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that a revision made under this section shall be decided by the Commission within a period of thirty days from the date of receipt of revision.".

STATEMENT OF OBJECTS AND RESEONS

Haryana Government holds timely delivery of services to the citizens as a corner-stone of good governance. Haryana has enacted the Haryana Right to Service Act, 2014. As per this Act, citizens have a right to claim services from the Government in a time-bound manner. Now, it has been observed that:-

1. The applicant should not be harassed unnecessarily by the Designated Officer in receiving and acknowledging the applications.
2. The Act has fixed a long period of sixty days for deciding the 2nd appeal which defeats the necessary purpose of the right to service of the citizens.
3. The Act has not fixed any time limit for deciding the appeals by the Commission.

Accordingly, in order to reduce the harassment of applicants and to fix time periods for deciding second and third appeals in specific timeframe, the Haryana Right to Service (Amendment) Bill, 2016 is being introduced in the State Legislature for approval.

According to this Bill, if any Designated Officer does not receive and acknowledge the application, the applicant may submit his application to the office of First Redressal Grievances.

The Second Grievances Redressal Authority shall decide the appeal within a period of thirty days instead of sixty days, from the date of receipt of appeal, as far as possible. The Commission shall decide the appeal within a period of thirty days.

Hence, this Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 24th August, 2016.

R.K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 19 एच०एल०ए०

हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2016
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है ।

2014 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 5 का संशोधन।

2. हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 5 की उप–धारा (4) में,–

(i) अन्त में विद्यमान **''।''** चिह्न के स्थान पर, **'':''** चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यदि पदाभिहित अधिकारी आवेदन प्राप्त करने से इन्कार करता है या पावती जारी करने से इन्कार करता है, तो पात्र व्यक्ति आवेदन में ऐसा करने के कारणों को कथित करते हुए अपना आवेदन प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करवा सकता है, जो उसे पदाभिहित अधिकारी को अग्रेषित करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे मामले में अधिसूचित समय सीमा उस तिथि से प्रारम्भ होगी जब अधिसूचित सेवा के लिए अपेक्षित पूर्ण आवेदन प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है।''।

2014 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (2) के तृतीय परन्तुक में, ''साठ दिन'' शब्दों के स्थान पर ''तीस दिन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2014 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 में,–

(i) विद्यमान परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किया गया पुनरीक्षण, पुनरीक्षण की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर आयोग द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को समय पर सेवाऐं प्रदान करने के लिए अच्छे सुशासन के लिए एक मजबुत आधारशीला बनाई है। हरियाणा द्वारा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 अधिनियमित किया गया है । इस अधिनियम के अनुसार, नागरिकों को समय बद्ध तरीके से सेवायें लेने का दावा करने का अधिकार है । अब यह देखा गया है किः–

1. प्रार्थना पत्र प्राप्त करने और उसकी रसीद देने बारे पदाभिहित अधिकारी द्वारा अनावश्यक रूप से आवेदक को परेशान नहीं किया जाना चाहिए ।
2. अधिनियम में द्वितीय अपील पर निर्णय लेने के लिये 60 दिन का एक लम्बा समय निर्धारित किया है, जो नागरिकों के सेवा के अधिकार का आवश्यक उद्देश्य निष्फल करता है ।
3. आयोग द्वारा अपील पर निर्णय लेने के लिए अधिनियम कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता ।

तदानुसार, आवेदकों के उत्पीड़न को कम करने के लिए और विशेष समय सीमा में दूसरे और तीसरी अपील पर निर्णय लेने के लिये समय अवधि निर्धारण करने हेतु हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2016 को हरियाणा विधान सभा के मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस अधिनियम अनुसार, यदि पदाभिहित अधिकारी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं करता और उसकी प्राप्ति नहीं देता तो प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकता है।

द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण, अपील के प्राप्त होने की तिथि से जहां तक सम्भव हो सके अपील पर निर्णय 60 दिन की अपेक्षा 30 दिन में करेंगे । आयोग अपील पर निर्णय 30 दिन के अन्दर करेगा ।

अतः बिल प्रस्तुत है ।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

.....

चंडीगढ़ः
दिनांक 24 अगस्त, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

54575—H.V.S.—H.G.P., Chd.